संख्याः 636 /v/आ0–2006–312(सामान्य)/2004

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

आवास अनुभाग

देहरादूनः दिनांकः 24 मार्च, 2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में विनियमित क्षेत्र बागेश्वर के सर्वे कार्य में हुए व्यय के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु अनुदान संख्या–13 अन्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय विनियमित क्षेत्र बागेश्वर के सर्वे कार्य में हुए व्यय के भुगतान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु परियोजन की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने की मद मे भुगतान हेतु संलग्न बी0एम0–15 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल 7,88,000.00 (रू0 सात लाख अट्ठासी हजार मात्र) की धनराशि का अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में पुर्नविनियोजन द्वारा व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण यथा आवश्यक किया जायेगा तथा कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा सम्पादित होगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवर्तन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा। व्यय उन्हीं मदों पर ही किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।

4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो।

5. व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

6. उक्त व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों तथा वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–782/XXVII (3)/2005, दिनांकः 01 जुलाई, 2005 में निहित प्रक्रियाओं एवं शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में दिनांकः 31 मार्च,2006 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे और यदि उक्त अवधि तक कोई धनराशि प्रस्तत न की गयी हो तो वो समस्त धनराशि दिनांकः 31 मार्च,2006 तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

8. इस मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–00–आयोजनागत–001–निदेशन तथा प्रशासन–08–परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियां एवं रिपोर्ट तैयार करना–16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के अन्तर्गत उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक ईकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय आदेश संख्या– 453/XXVII(2)/06, दिनांकः 22 मार्च, 2006 में उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नकः बजट मैनुअल प्रपत्र–15

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 6360/v/–आ0–2006–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
4. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कुमायूँ सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/कोषाधिकारी, बागेश्वर।
6. वित्त अनुभाग–2 ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)

आय–व्ययक प्रपत्र–15

आवास विभाग

पुर्नविनियोग–2005–2006

आयोजनागत

प्रशासनिक विभाग–आवास विभाग, उत्तरांचल शासन, अनुदान संख्या–13

(धनराशि हजार रूपये में)

जट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखा शीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
	02	03	04	05	06	07	08
7–शहरी ास–03–छोटे तथा म श्रेणी के नगरों समेकित विकास– ोजनागत–800–अन्य –01– केन्द्रीय ोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित ना – 03– नैनीताल की झीलों तथा या नाला के सुधार संरक्षण–20 सहायक दान /अंशदान/ सहायता 88800	—	485900	2900(क)	2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–001– निदेशन तथा प्रशासन– 08–परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु –16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान– 788(ख)	789	488012	(क) आवश्यकता न होने के कारण। (ख) अनुदान में पर्याप्त बचतें होने के कारण प्रथम अनुपूरक में उक्त मद में प्रतीक प्रावधान कराया गया और शेष आवश्यक धनराशि का अतः व्यावर्तन किया जा रहा है।
योग= 488800	—	485900	2900	788	789	488012	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर–151–156 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।
आवास विभाग

उत्तरांचल शासन,
वित्त विभाग,
संख्या–453 क / XXVII(2) / 2006
देहरादूनः दिनांकः 22 मार्च ,2006

पुर्नविनियोग स्वीकृत

टी0एन0सिह
अपर सचिव, वित्त

संख्या– 636 (F) / V / आ0–2006–तद्दिनाक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून / बागेश्वर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / कोषाधिकारी, बागेश्वर।
5. वित्त अनुभाग–3।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
अनु सचिव।